झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम–08, 2020) की धारा 1 में संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम - 8, 2020) में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारतीय गणतंत्र के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:

1. संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध झारखण्ड सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. धारा 1 के उपधारा (3) का संशोधन -

(1) झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) इस अधिनियम की धारा 11, धारा 14, धारा 18 एवं धारा 30 को क्रमशः तारीख 10 नवम्बर, 2020, तारीख 01 सितम्बर, 2020, तारीख 01 सितम्बर, 2019 एवं 31 मार्च, 2020 से प्रवृत माना जाएगा;

(ii) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्य उपबंध उस तारीख से प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;"।

यह विधेयक झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक - 22 मार्च, 2021 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक - 22 मार्च, 2021 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 1—50—6-4-2021